पत्र संख्या–परिवाद/2018–19/ 1318 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(परिवाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों में लम्बित परिवादों की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि परिवाद अनुभाग, वि0अनु0शा0 अनुभाग, केन्द्रीय सचल दल, निरीक्षण तथा वाद अनुभाग में **1320** प्रकरण अभी तक अनिस्तारित हैं। उक्त अनुभागों के लम्बित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.स.	अनुभाग	दि0 01.12.2018 को लम्बित	सबसे पुराना प्रकरण
1	वि0अनु0शा0	436	वर्ष 2010–11
2	केन्द्रीय सचल दल	137	वर्ष 2007–08
3	परिवाद अनुभाग	293	वर्ष 2002–03
4	निरीक्षण अनुभाग	34	वर्ष 2012–13
5	वाद अनुभाग	348	वर्ष 2006–07
6	सचल दल	72	वर्ष 2009–10

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि लम्बित प्रकरणों में वर्ष 2002 के प्रकरण भी अभी तक लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि यह प्रकरण जोनल एडीशनल कमिश्नर स्तर से आख्या प्राप्त न होने अथवा अधूरी आख्या प्राप्त होने के कारण लम्बित है।

अतः प्रकरणों के ससमय निस्तारण के लिए उचित होगा कि इन सभी परिवादों/शिकायती प्रार्थना पत्रों/प्रकरणों को जोन वार संकलित करते हुए सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को इस आशय से प्रेषित किया जाए कि वे परिवाद/शिकायती प्रार्थना पत्र/प्रकरण की जांच करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ जांच आख्या मुख्यालय को दिनांक 31.12.2018 तक आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 इन प्रकरणों की जांच स्वयं तथा जोन में तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। वि0अनु0शा0 एवं केन्द्रीय सचल दल के सम्बन्ध में प्रकरणों की जांच एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) से कराया जाना उचित होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच आख्या की एक प्रति आवेदक/शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की जाए।

जोनल कार्यालयों से प्राप्त आख्याओं को मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी निस्तारण हेतु निम्नानुसार नामित अधिकारियों के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत करेंगेः–

क्र0सं0	जोन का नाम	निस्तारण हेतु अधिकृत अधिकारी
1	गाजियाबाद–प्रथम व द्वितीय, नोएडा, कानुपर प्रथम व द्वितीय, लखनऊ–प्रथम व द्वितीय,	सुश्री यशु रूस्तगी, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2	झांसी वाराणसी–प्रथम व द्वितीय, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, मुख्यालय	श्रीमती सुधा वर्मा, एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3	सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, इटावा,	श्री अजीत कुमार शुक्ला, एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

भविष्य में प्राप्त परिवादों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही उक्तानुसार ही की जाएगी। निस्तारित परिवादों में कुछ प्रकरणों की रैन्डम आधार पर जांच मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। यह कार्य दिनांक 05.01.2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्षों से लम्बित प्रकरणों पर अभियान के रूप में कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि आम नागरिकों/व्यापारियों द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के साथ–साथ विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध लम्बे समय से विचाराधीन प्रकरणों पर एक निश्चित समयावधि में नियमानुसार निस्तारण हो सके।

10/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2– एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, एडिशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश व एडिशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3– ज्वाइण्ट कमिश्नर (परिवाद/वि0अनु0शा0/केन्द्रीय सचल दल/निरीक्षण/सचल दल/वाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4– वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी–प्रथम, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5– डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

19.12.18

ज्वाइण्ट कमिश्नर (परिवाद), वाणिज्य कर, मुख्यालय।